

पहले आओ पहले पाओ के आधार पर नामांकन प्रारम्भ

झालावाड़ 16 जुलाई/ सेन्ट्रल प्लास्टिक इंजिनियरिंग इंस्टीट्यूट में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् के सहयोग से सुनेल ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार 18 से 35 आयु वर्ग के युवकों के लिए 3 माह का निःशुल्क प्रशिक्षण आरम्भ किया जा रहा है।

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् के प्रबन्धक ने बताया कि इसके अन्तर्गत प्लास्टिक मशीन ऑपरेटर से संबंधित प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थी 8वीं पास, बी.पी.एल. गैर बी.पी.एल. एवं राजीविका परियोजना अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों से सम्बन्ध होना चाहिए। प्रशिक्षण पश्चात निजि क्षेत्रा व स्वरोजगार के क्षेत्रा में रोजगार की संभावना है। प्रशिक्षण के लिए सुनेल ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रावासी सुनेल पंचायत समिति स्थित ब्लॉक कार्यालय में राजीविका प्रतिनिधी से सम्पर्क कर सकते हैं।

सेवानिवृत्त कार्मिकों से अनुबन्ध पर कार्य करने हेतु आवेदन आमंत्रित

झालावाड़ 16 जुलाई/उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अतिरिक्त कलक्टर) खजान सिंह ने बताया कि नगर पालिका के आम चुनाव 2015 के कार्य हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय में मंत्रालायिक सेवा के रिक्त पद के विरुद्ध एक सेवानिवृत्त कार्मिक को नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने तक राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 164 -ए एवं कार्मिक (क-2) के दिशा निर्देशों के अनुसार 30 सितम्बर तक अनुबन्ध पर रखा जाना है।

अतः इस हेतु इच्छुक कार्मिक जिसकी आयु 65 वर्ष से कम हो के आवेदन पत्रा पूर्ण विवरण (सेवानिवृत्ति व पेंशन आदेश) सहित 23 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं।

लाईसेंसधारी कृषि आदान विक्रेता से ही कृषि आदान खरीदें

झालावाड़ 16 जुलाई/उपनिदेशक कृषि विस्तार कैलाश चन्द मीणा ने बताया कि जिले में जिन किसानों ने फसल की बुवाई कर दी है वे समय पर फसल की निराई-गुड़ाई कर कुल्फा चलाकर फसल को खरपतवारों से मुक्त करें। खरपतवार अधिक होने से फसल की उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

उन्होंने बताया कि फसलों में कीट पंतगों का प्रकोप दिखाई दे तो अपने क्षेत्रा के कृषि परवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी से परामर्श कर ही दवा का छिड़काव करें। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि कृषि आदान खरीदने पर पक्का बिल अवश्य प्राप्त करें व लाईसेंसधारी कृषि आदान विक्रेताओं से ही कृषि आदान खरीदें।

ईद के त्यौहार पर शांति व्यवस्था बनाये रखने के संबंध में निर्देश

झालावाड़ 16 जुलाई/जिला मजिस्ट्रेट बिष्णु चरण मल्लिक ने एक आदेश जारी कर बताया कि जिले में 18 जुलाई को चांद दिखने पर मुस्लिम समुदाय द्वारा ईदुल फितर का पर्व मनाया जायेगा। इस पर्व के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिले के समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपने अपने क्षेत्रा के संवदेनशील व अतिसंवदेनशील गांवों व कस्बों में विशेष ध्यान देकर कानून एवं शांति व्यवस्था कायम रखेंगे।

उन्होंने बताया कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में मस्जिदों, कब्रिस्तानों के आसपास एवं संवदेनशील, अतिसंवदेनशील स्थानों पर साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने के लिए सतत निगरानी एवं पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखेंगे ताकि साम्प्रदायिक सद्भाव और कानून व्यवस्था बनी रहे।

उन्होंने बताया कि समस्त नायब तहसीलदार अपने अपने क्षेत्रा में रहकर उक्त त्यौहार के दौरान शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु क्षेत्रा के उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तहसीलदार के निर्देशानुसार कार्य करेंगे एवं कोई भी अधिकारी बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे व समस्त अधिकारी अपने अपने क्षेत्रा में पुलिस अधिकारियों से सम्पर्क बनाये रखें तथा छोटी बड़ी घटना की जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
